

30.7.24

भरतपुर

बनील कपीलो (अपस्थित) / बनील कपीलो (अथवा स्वयं
 कपीलो) को बार-बार आवेजें मिलि गइ किन्तु
 कोरे उपस्थित नही। काफा बावजूद सूचना नियत
 तिथि को कोरे उपस्थित न जान के काज कपील
 अठक हाफिरी, अठक पेची के बाडि नी जाती है।
 परबली जे सब प्रकार सेबर थाद तकमील दाबिल
 दफ्तर है।

अतिरिक्त सहायी आयुक्त
 भरतपुर

की पत्रावली
 96/02 सं